न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या : 62/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

सुम्मेरा पुत्र चिरमोली जाति जाटव निवासी चुरारी गुर्जर सब तहसील उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट

बनाम

घोट्या पुत्र नहना जाति कोली निवासी नादरी तहसील सिकराय जिला दौसा ।

.....रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 7.8.2012 नामान्तरकरण संख्या 543 ग्राम चुरारी गुर्जर सब तह0 उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

उपस्थित :

1. श्री गम्मनसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजयसिंह कुन्तल वकील रैस्पोडेन्ट

दिनांक : 19.1.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 7.8.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सहायक कलक्टर रूपवास द्वारा पारित डिक्री दिनांक 27.6.2012 की पालना में रैस्पोडेन्टस के हक में स्वीकृत किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। प्रकरण के तथ्य यह कि अपीलान्ट के खिलाफ रैस्पोडेन्ट ने एक दावा 88–89 आरटीएक्ट के अंतर्गत एसीएम उच्चैन की अदालत में किया था। रैस्पो0 ने अपीलान्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करके डिक्री दिनांक 27.6.2012 को पारित कराके तहसील में नामान्तरकरण संख्या 543 भी एकपक्षीय कार्यवाही कराते हुये दर्ज करा लिया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को कतई नहीं होने दी गई। इस बाबत जानकारी अपीलान्ट को

दिनांक 10.7.2017 को हुई। जानकारी होने पर मालूम हुआ कि रैस्पोडेन्ट ने दावे में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी को 18.8.93 को बेचान किया है। जबकि अपीलान्ट ने विवादग्रस्त आराजी का कोई बेचान नहीं किया है। एकपक्षीय डिक्री एवं कथित फर्जी रजिस्ट्री की अपीलान्ट ने अपील पेश कर दी है। यह कि रैस्पोडेन्ट ने 18.8.93 को रजिस्ट्री होना बताया है तब से रैस्पोडेन्ट ने अपनी विवादग्रस्त आराजी का दाखिल खारिज क्यों नहीं करवाया जो कि करीबन 24 साल हो चुके है। रैस्पोडेन्ट द्वारा कराई गई सभी कार्यवाही एकपक्षीय व फर्जी कार्यवाही है इसलिऐ अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। चूंकि उपर्युक्त कार्यवाही एकपक्षीय है इसलिऐ अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं हो सकी। इसकी सूचना दिनांक 10.7.2017 को हुई। तत्काल कार्यवाही करते हुये नकल प्राप्त की गई है इसलिऐ जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथपत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत करने में की गई देरी को माफ करते हुये अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जावे। अन्त में प्रार्थना की है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 7.8.2012 निरस्त की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.8.2012 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 8.8.93 को जरिये पंजीकृत बयनामा पूर्ण प्रतिफल लेकर कब्जा व दाखिल रैस्पोडेन्ट को संभलवा दिया है। तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय/डिक्री की पालना (क्रियान्वयन) में स्वीकृत हुआ है। जिस डिक्री/निर्णय के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है उस डिक्री के विरूद्ध स्वयं अपीलान्ट ने पृथक से सक्षम में अपील दायर की हुई है जैसा कि अपील मीमो के बिन्दु संख्या 2 की अन्तिम पैरा से जाहिर है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन नामान्तरकरण की अपील में डिक्री व निर्णय के गुणावगुण को नहीं देखना है। उनका यह भी तर्क है कि किसी भी डिक्री का क्रियान्वयन उस न्यायालय डिक्री के विरूद्ध नहीं जा सकता । इसी प्रकार इस अपील में अपीलाधीन नामान्तरकरण 543 का परीक्षण किया जाना है न कि ए.सी.एम. उच्चैन की डिक्री का जिसके आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है। इसलिऐ इस अपील में डिक्री व निर्णय की वैद्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता। जब तक डिक्री कायम है तब तक उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण भी यथावत रखा जाना विधिसम्मत रहता है। इसके अलावा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई बिना कोई ठोस आधार के असाधारण देरी के कारण भी अपील मियाद बाहर ही है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण बहाल रखे जाने का निवेदन किया गया। हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
>
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय/डिक्री दिनांक 27.6.2012 के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्ट यह कहते हुये अपील में आये है कि उक्त तथाकथित निर्णय व डिक्री फर्जी एवं कूटरचित है। इसलिऐ उसके आधार पर स्वीकृत किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध वहालत मौजूदा रिकार्ड के आधार पर हम वकील अपीलान्ट के इस कथन से तब तक इत्तेफाक नहीं रखते जब तक कि उक्त डिक्री के विरूद्ध सक्षम अदालत का अन्तिम परिणाम सामने नहीं आ जाता। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की सरसरी कार्यवाही को डिक्री के आस्तित्व में रहते हुये अपील संधारण योग्य नहीं रहती है। यदि अपीलान्ट को एसीएम उच्चैन की डिक्री से कोई गुरैज है तो उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। डिक्री के कायम रहते उसके आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 543 दिनांक 7.8.2012 में हम कोई विधिक त्रुटी नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 543 दिनांक 7.8.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2018 को सुनाया गया।

(ओ0 पी0 जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official